

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक A/5662 /

जबलपुर, दिनांक 27/12/2025

श्री संजय कुमरे, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर को अनाधिकृत रूप से उपभोग किये गये अवकाश दिनांक 03.11.2025, 10.12.2025 से 12.12.2025 तक कुल 4 दिन का अवैतनिक किया जाता है।


(युगल रघुवंशी)
रजिस्ट्रार (W & I)

पृष्ठांकन क्रमांक A/5663 /

जबलपुर, दिनांक 27/12/2025

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार (प्रशा.), उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर,
3. सहायक स्थापना/वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर,
4. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ, जबलपुर,
5. श्री संजय कुमरे, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(युगल रघुवंशी)
रजिस्ट्रार (W & I)